महत्वपूर्ण एवं खास

गोदाम से लोहे की सेंटरिंग प्लेट चोरी करने वाले दो आरोपियों को चौकी खरसिया पुलिस ने किया गिरफ्तार

रायगढ़। दिनांक 27.01.2023 को पुलिस चौकी खरसिया द्वारा लोहे के सेंटरिंग प्लेट चोरी करने वाले दो आरोपियों से 20 नग लोहे का सेन्ट्रीग प्लेट कीमत करीब रु.40,000 बरामद किया गया है। रिपोर्टकर्ता सौरभ अग्रवाल निवासी वार्ड क्रमांक 01 हमालपारा गौशाला रोड खरसिया ने उसके गोदाम से 25 नग लोहे का सेन्ट्रीग प्लेट चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अप.क्र. 50/2023 धारा 457, 380 आईपीसी के तहत अपराध अज्ञात आरोपी पर पंजीबद्ध किया गया था। मामले में माल मुलजिम के पतासाजी दौरान आज मुखबीर सूचना पर चंदन तालाबपार खरसिया में रहने वाले अमित उर्फ बुटू सिदार और देव जलतारे उर्फ लिंबू को हिरासत में लिया गया। दोनों अमित सिदार के मोटरसाइकिल में अपने साथी अपचारी बालक के साथ 25 नग लोहे का सेन्ट्रीग प्लेट चोरी कर गोदाम के पीछे झाड़ियों में छुपा कर रखना बताए। आरोपियों के मेमोरेंडम पर 20 नग सेन्ट्रीग प्लेट की बरामदगी कर आरोपियों को नकबजनी के अपराध में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आरोपियों की पतासाजी, गिरफ्तारी में चौकी प्रभारी खरसिया उपनिरीक्षक अमिताभ खांडेकर, सहायक उपनिरीक्षक पृथ्वीराज मोहंती, प्रधान आरक्षक शंकर सिंह क्षत्रिय, मनोज मरावी और आरक्षक सोहन यादव की प्रमुख भूमिका रही है।

स्कूल और कॉलेज के बच्चों के लिए जिला प्रशासन आयोजित कर रहा है कंप्यूटर कोडिंग वर्कशॉप

आज प्रात: 10 से 2 बजे के बीच होगा वर्कशॉप

रायगढ़। जिला प्रशासन द्वारा 28 जनवरी 2023 शनिवार को कलेक्टोरेट कार्यालय के सृजन सभाकक्ष में स्कूल और कॉलेज के बच्चों के लिए 'कोडिंग वर्कशॉप' आयोजित करने जा रहा है। इस वर्कशॉप में विशेषज्ञों द्वारा 'जावा' और 'पायथन' जैसे कम्प्यूटर लैंग्वेज में कोडिंग वर्कशॉप कराया जाएगा। यह वर्कशॉप प्रात:10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी। इच्छुक बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं।

खेलो इण्डिया लघु केन्द्र बैडमिंटन हेतु प्रशिक्षक का चयन अब 4 फरवरी को

रायगढ़। सहायक संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग, रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला रायगढ़ में स्वीकृत खेलो इण्डिया लघु केन्द्र (बैडमिंटन)हेतु एक प्रशिक्षक नियुक्ति किए जाने हेतु 28 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई थी। चूंकि रायपुर में 28 से 30 जनवरी तक राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। जिसके कारण अब प्रशिक्षक चयन हेतु वॉक इन इंटरव्यू 4 फरवरी 2023 को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी उक्त तिथि एवं समय में अपने शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज एवं बैडमिंटन खेल से संबंधित समस्त उपलब्धि प्रमाण-पत्र सहित उपस्थित होकर चयन प्रक्रिया में भाग ले सकते है। आवश्यकतानुसार बैडमिंटन खेल के कौशल प्रशिक्षण अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत करना होगा। इस संबंध में किसी प्रकार की अन्य जानकारी हेतु कार्यालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग रायगढ़ में संपर्क कर सकते है।

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चक्रधरनगर में फहरा तिरंगा

रायगढ़। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चक्रधरनगर में गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर निगम के मनोनीत पार्षद (एल्डरमैन)एवं शाला विकास समिति के अध्यक्ष राहुल शर्मा द्वारा पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ तिरंगा फहराया गया। अध्यक्षीय उदबोधन पार्षद पंकज कंकरवाल द्वारा दिया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार के बच्चों के अलावा विद्यालय के प्राचार्य राजेश डेनियल, मंतोष परमानिक, लीनू जॉर्ज, आकाश बनर्जी, अनिल साहू, विद्यालय परिवार में कार्यरत सभी शिक्षक एवं अन्य अतिथि उपस्थित थे। प्राचार्य राजेश डेनियल ने सभा को संबोधित किया।

अंतर्राज्यीय अवैध हथियार बेचने वाले गिरोह का एक और आरोपी रायगढ़ पुलिस की गिरफ्त में, एक खदीरदार भी हथियार समेत गिरफ्तार

0 दोनों आरोपियों से 1 एयरगन, 1 कट्टा , 3 जिंदा राउंड और एयरगन का 7 नग छर्रा बरामद

0 एक महीने पहले सिंडिकेट के सरगना सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट में भेजा गया था जेल

0 बिलासपुर सुपारी किलिंग में सिंडिकेट से खरीदे गये अवैध हथियार इस्तेमाल की बात आई थी सामने

रायगढ़। पिछले महीने 16 दिसंबर को साइबर सेल और जूटमिल पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मुखबीर सूचना पर आरोपी नरेश उर्फ नानू यादव को देशी पिस्टल के साथ पकड़ा गया था। आरोपी के पास से मिले अवैध हथियार को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा द्वारा आरोपी द्वारा कहां से हथियार खरीदी किया गया इसकी आगे तस्दीक के लिए एडिशनल एसपी संजय महादेवा, सीएसपी रायगढ़ अभिनव उपाध्याय एवं साइबर सेल की टीम को लगाया गया।

साइबर सेल प्रभारी उपनिरीक्षक कमल किशोर पटेल ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर आरोपी नरेश उर्फ नानू यादव पर आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत कार्यवाही कर आरोपी से पूछताछ कर जांच कार्यवाही आगे बढ़ाया। आरोपी से मिली कि उसने स्थानीय युवक यूसुफ हुसैन चांदनी चौक बाबूपारा के पास से 1 पिस्टल और 3 राउंड को 8-9 माह पहले रु.50,000 में खरीदा था। यूसुफ हुसैन पकड़े जाने के डर से लुक-छिप रहा था। जिसे 21.12.2022 की शाम अवैध हथियारों के मुख्य सप्लायर एजाज उर्फ राजू निवासी पलामू झारखंड के साथ हथियार समेत रेलवे स्टेशन के पास पकड़ा गया था। दोनों रायगढ़ से कोलकाता और कोलकाता से बांग्लादेश की ओर फरार होने की फिराक में रेलवे स्टेशन के पास घूम रहे थे। दोनों आरोपियों के मेमोरेंडम पर आरोपी युसूफ से एक पिस्टल और दो राउंड तथा आरोपी एजाज अंसारी से एक पिस्टल और तीन राउंड जप्त किया गया था। जांच कार्यवाही में आरोपियों से विस्तृत पूछताछ पर एजाज उर्फ राजू निवासी पलामू झारखंड द्वारा पलामू झारखंड के कवीश्वर उर्फ कवि भैया उर्फ कबीर मेहता से अवैध हथियार खरीदना बताया था। एसएसपी अभिषेक मीणा के निर्देशन पर सीएसपी अभिनव उपाध्याय के नेतृत्व में साइबर सेल और जूटमिल पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आरोपी कवीश्वर उर्फ के.बी. उर्फ कवि भैया उर्फ कबीर महतो की पतासाजी के लिए झारखंड रवाना हुई। जहां पलामू और गढ़वा जिले में आरोपी कवीश्वर की पतासाजी कर योजनाबद्ध तरीके से आरोपी कविश्वर को हिरासत में लिया गया जिसने पूछताछ पर आरोपी एजाज अंसारी उर्फ राजू को हथियार बेचना कबूल घटना के संबंध में बताया कि जल्द से जल्द रुपए कमाने के लालच में उसने अवैध हथियार बेचने का काम शुरू किया था। शुरुआती समय में गढ़वा में रु.9,000 में पिस्टल खरीद कर रु.11,000 में बेचा करता था, आगे चलकर यह एक पिस्टल में 10 से रु.12000 कमाना शुरू कर दिया और इस प्रकार अलग-अलग व्यक्तियों को गोपनीय तरीके से हथियार बेचा कर रहा था। इसी दौरान डाल्टनगंज में राजू उर्फ एजाज अंसारी से मुलाकात हुआ जिसके साथ मोबाइल व्हाट्सएप कॉलिंग और चैटिंग से बात होती थी। पिछले साल दिसंबर माह में राजू आकर पहचान के लोगों को पिस्टल खरीद कर देना है बोला था। राजू से सौदा तय होने पर 5 पिस्टल रु.15- रु.15,000 में और 32 राउंड प्रति नग रु.400 में बिक्री किया था। सोशल मीडिया से इसे पता चला कि राजू उर्फ एजाज अंसारी को रायगढ़ पुलिस पकड़ कर जेल भेज दी है तो पकड़े जाने के डर से हथियार खरीदी बिक्री का काम बंद कर दिया था और चेन्नई अपना इलाज कराने गया हुआ था वापस लौटने के बाद रायगढ़ पुलिस की टीम पकड़ी ली। आरोपी कबीर मेहता ने पूछताछ में सूरजपुर के बलिंदर राजवाड़े को 1 कट्टा और 3 राउंड बेचना बताया। पुलिस की एक टीम एसएसपी अभिषेक मीणा को जानकारी से अवगत कराकर आरोपी बलिंदर राजवाड़े की पतासाजी के लिए रवाना हुई। आरोपी कविश्वर के पास से छिपाकर रखा हुआ - 1 एयरगन और 7 छर्रा बरामद किया गया है।

आरोपी बलिंदर राजवाड़े की पतासाजी के लिए सूरजपुर रवाना हुई। जहां स्थानीय पुलिस के सहयोग से आरोपी बलिंदर राजवाड़े को हिरासत में लिया गया जिससे अवैध रूप से हथियार खरीदी करने के संबंध में पूछताछ करने पर बताया कि ठेकेदारी का काम करता है, रुपयों के लेन-देन को लेकर आना-जाना करता है इस कारण स्वयं की सुरक्षा के लिए एजाज के माध्यम से कवीश्वर उर्फ कवि भैया से 1 नग कट्टा और 3 राउंड खरीदा था। आरोपी बलिंदर से पुलिस टीम एक नग कट्टा और तीन राउंड बरामद किया गया है। दोनों आरोपियों को थाना जूटमिल (कोतवाली) के अपराध क्रमांक 1742/2022 धारा 25 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। एसएसपी अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी संजय महादेवा, सीएसपी अभिनव उपाध्याय के मार्गदर्शन में साइबर सेल प्रभारी उप निरीक्षक कमल किशोर पटेल, प्रधान आरक्षक रामनाथ बनर्जी, प्रधान आरक्षक मो0 दिलदार कुरैशी, प्रधान आरक्षक दुर्गेश सिंह, बृजलाल गुर्जर, आरक्षक पुष्पेन्द्र जाटवर, विकाश प्रधान, पद्मेश डेंजारे, शशि भूषण साहू की आरोपियों की पतासाजी, गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

गिरफ्तार आरोपी-

(1) कवीश्वर विजय विवेकानंद उर्फ केवी उर्फ कवि भैया उर्फ कबीर मेहता पिता ईश्वरी महत्व उम्र 52 साल निवासी गडरियाडीह थाना पंडवा एवं ग्राम सुदना पटेलनगर डाल्टनगंज जिला पलामू झारखंड आधार पता- ग्राम जोबरईया थाना गढ़वा जिला गढ़वा (झारखंड)

(2) बलिंदर राजवाड़े पिता स्वर्गीय साहेबाराम राजवाड़े उम्र 38 साल निवासी डेडरी थाना व जिला सूरजपुर हाल मुकाम मानी थाना व जिला सूरजपुर (छत्तीसगढ़)

जप्त हथियार व मोबाइल-

1 नग कट्टा 3 राउंड, 1 एयरगन, 10 छर्रा और 2 नग मोबाईल।

पूर्व में गिरफ्तार- (1) नरेश उर्फ नानू यादव निवासी धांगरडीपा रायगढ़ (2) युसूफ हुसैन बाबूपारा वार्ड नं0 08 रायगढ़ (3) एजाज अंसारी पलामू (झारखंड)। इन तीनों आरोपियों से जप्त हथियार - 3 पिस्टल, 5 राउंड, 3 मोबाइल।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में द्वितीय बालिका संतान को लाभान्वित किए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी

रायगढ़। भारत शासन द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए है। जिसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत भी आवश्यक संशोधन किया गया है, जिसमें पूर्व निर्देशानुसार चिन्हित सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के प्रथम बच्चे के जन्म पर माता को दी जाने वाली 5 हजार रुपये की राशि 3 किश्तों की बजाए अब 2 किश्तों में किए जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे चिन्हांकित परिवारों के प्रथम बच्चे हेतु, गर्भावस्था के पंजीयन पर एवं कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच कराए जाने पर (गर्भावस्था के 6 माह के अंदर)पहली किश्त की राशि 3 हजार रुपये दी जाएगी तथा दूसरी किश्त की राशि 2 हजार रुपये बच्चे के जन्म पंजीकरण तथा बीसीजी, पोलियो, डीटीपी एवं हेपेटाइटिस-बी या इसके समानान्तर/विकल्प का प्रथम चक्र का टीका लगाए जाने के पश्चात देय होगा।

जिला कार्यक्रम अधिकारी/महिला एवं बाल विकास अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार योजनान्तर्गत भारत शासन द्वारा अब 1 अप्रैल 2022 के बाद पूर्वत: चिन्हांकित सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के परिवार में जन्मे द्वितीय संतान बालिका होने पर एकमुश्त 6 हजार रुपये का लाभ दिए जाने के निर्देश दिए गए है। 17 जनवरी 2023 को भारत शासन से हुए वीडियो कान्फ्रेंसिंग में यह अवगत कराया गया है कि वेबसाइट में द्वितीय बालिका संतान को लाभान्वित किए जाने हेतु आवश्यक उपबंध किए जा रहे है तथा मैदानी स्तर पर सभी संभावित हितग्राहियों के चिन्हांकन किए जाने के निर्देश दिए जा रहे है। अतएव सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के परिवार के 1 अप्रैल 2022 के उपरांत जन्मी द्वितीय बालिका संतान का चिन्हांकन प्रारंभ किया जाएगा। जिसमें चिन्हांकित माता का सही आधार नंबर एवं माता का आधार लिंक बैंक खाते की जानकारी, माता का मातृ शिशु रक्षा कार्ड अनिवार्य रूप से संधारित हो,जन्म ली हुई बालिका का जन्म प्रमाण-पत्र, द्वितीय बालिका संतान को प्रथम चक्र हेतु निर्धारित सभी टीके लगे होने चाहिए। भारत सरकार द्वारा प्रदेश में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत अधिक से अधिक हितग्राहियों के चिन्हांकन के निर्देश दिए गए है।

चोरी की दो मोटरसाइकिल के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

❐ बाइक चोर ने बॉयज हॉस्टल से चोरी किया था लोहे की खिड़की, दरवाजे और ग्रिल

रायगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन पर बाइक चोरों पर पुलिस की लगातार कार्यवाही जारी है पिछले दिनों साइबर सेल की टीम द्वारा 52 दुपहिया, 1 रेनो क्विड कार के साथ चार आरोपियों को पकड़ा गया था जिसके बाद कोतवाली पुलिस द्वारा एक शातिर बाइक चोर के पास से 7 नग चोरी की मोटरसाइकिल और स्कूटी जप्त किया गया। इसी कड़ी में कल चक्रधरनगर थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण मिंज के नेतृत्व में चक्रधरनगर पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना पर आईटीआई अंबेडकर आवास में रहने वाले विशाल गुप्ता उर्फ देवांगन के घर में दबिश दिया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि विशाल गुप्ता मोटरसाइकिल बेचने के लिए कुछ लोगों से चर्चा किया है, संभवत: उसके पास चोरी की मोटरसाइकिलें हैं। पुलिस टीम द्वारा तत्काल अंबेडकर आवास जाकर विशाल गुप्ता को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जिससे कड़ी पूछताछ में उसने करीब डेढ़ माह पहले अपने साथी बलदेव दास महंत के साथ खरसिया टाउन से दो मोटरसाइकिल ग्लैमर ब्लू कलर एवं एक पैशन प्रो चोरी कर घर में छिपाकर रखना बताया। आरोपी विशाल गुप्ता उर्फ देवांगन के कब्जे से एक पुराना बिना नंबर ग्लैमर मोटरसाइकिल तथा एक पैशन प्रो मोटरसाइकिल नीला रंग जुमला कीमत रु.30,000 जब्त किया गया। बाइक चोरी के मामले में दोनों आरोपियों पर इस्तगासा धारा 41(1+4)CrPC/379, 34 IPC के तहत कार्यवाही किया गया है

आरोपी विशाल गुप्ता से मिली जानकारी पर उसके साथी बलदेव दास महंत को आईटीआई चक्रधरनगर कॉलोनी से हिरासत में लिया गया जिससे अन्य चोरियों के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी बताया कि उसने डिग्री कॉलेज के पास बॉयज हॉस्टल में लगे लोहे के दरवाजे का पल्ला, खिड़की का ग्रिल, खिड़की चोरी करना बताया आरोपी के मेमोरेंडम पर 3 लोहे का खिड़की, 2 खिड़की का ग्रिल और 2 दरवाजे का पल्ला लोहे का जप्त किया गया है। हॉस्टल से लोहे का ग्रिल खिड़की दरवाजे चोरी के संबंध में कॉलेज के सहायक अध्यापक ने 7 जनवरी 2023 को चोरी की रिपोर्ट थाना चक्रधरनगर में दर्ज कराया गया है, रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध नकबजनी का अपराध (धारा 457, 380 आईपीसी) पंजीबद्ध किया गया है। उक्त नकबजनी के मामले में भी आरोपी बलदेव दास महंत को रिमांड पर भेजा गया है।कार्यवाही में थाना प्रभारी चक्रधर नगर निरीक्षक प्रवीण मिंज के हमराह प्रधान आरक्षक हेम प्रकाश सोन, अरुणा चौरसिया, आरक्षक अभय यादव और चंद्र कुमार बंजारे शामिल थे।

आरोपी - (1) विशाल गुप्ता उर्फ देवांगन पिता स्वर्गीय रामदेव गुप्ता उम्र 21 साल निवासी आईटीआई कॉलोनी अंबेडकर आवास चक्रधरनगर रायगढ़

(2) बलदेव दास महंत पिता महत्त्व दास महंत उम्र 22 साल निवासी आईटीआई कॉलोनी अंबेडकर आवास थाना चक्रधरनगर।

स्कूटी पर गांजा परिवहन कर रहे 3 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों से 3 किलो गांजा एक प्लेजर स्कूटी जब्त

रायगढ़। संपत्ति संबंधी अपराधों में माल मुल्जिम पतासाजी के साथ जूटमिल पुलिस क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों के खरीदी-बिक्री पर अंकुश लगाने मुखबिर लगाकर कार्यवाही किया जा रहा है। इसी क्रम में कल 26 जनवरी के दोपहर थाना प्रभारी जूटमिल उपनिरीक्षक कमल किशोर पटेल को मुखबिर से सूचना मिली कि तीन व्यक्ति एक लाल रंग की स्कूटी प्लेजर में उड़ीसा से गांजा लेकर रायगढ़ की ओर निकले हैं। मुखबिर सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में शांति व्यवस्था में लगे थाने के स्टाफ को थाना प्रभारी जूटमिल द्वारा उड़ीसा मेन रोड पर विभिन्न स्थानों में नाकेबंदी के लिए लगाया गया। दोपहर काशीराम चौक के पास मुखबिर द्वारा बताए हुलिए के तीन व्यक्तियों एक लाल रंग की स्कूटी प्लेजर सीजी 13 एके 3609 में बैठकर आते मिले जिन्हें मुखबिर सूचना और नाकेबंदी कार्यवाही जानकारी देकर स्कूटी और उनकी तलाशी लिया गया। संदेहियों के स्कूटी सीट के नीचे डिक्की अंदर थैला में रखा मादक पदार्थ गांजा मिला जिसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर वजन कराया गया जो 3 किलोग्राम गांजा कीमत रु.30,000 का पाया गया। आरोपियों से पूछताछ में गांजे को अवैध रूप से बिक्री के करने बताए जाने पर आरोपियों के नाम पता की जानकारी ली गई जो आरोपी (1) अजय कुमार चौहान पिता गणेश राम चौहान उम्र 30 साल निवासी डोगाढकेल थाना भूपदेवपुर (2) राजाराम उर्फ राजेंद्र सारथी पिता हरिराम सारथी उम्र 36 साल निवासी रेगड़ा थाना चक्रधरनगर (3) पितांबर दास महंत पिता हरि दास महंत उम्र 28 वर्ष निवासी कोडतराई थाना भूपदेवपुर बताये। आरोपियों से 3 किलोग्राम गांजा कीमत रु.30,000 एवं स्कूटी प्लेजर सीजी 13 एके 3609 कीमती रु.30,000 जुमला करीब रु.60,000 की संपत्ति जप्त कर आरोपियों द्वारा स्कूटी पर मादक पदार्थ परिवहन करते पाए जाने पर आरोपियों के विरुद्ध थाना जूटमिल में धारा 20(B) एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। गांजा रेड कार्यवाही में थाना प्रभारी जूटमिल उपनिरीक्षक कमल किशोर पटेल, प्रधान आरक्षक रामनाथ बनर्जी, आरक्षक बनारसी सिदार, विनय तिवारी, धनुर्जयचंद बेहरा, शशि भूषण साहू की अहम भूमिका रही है।

जिले में लोगों का साकार हो रहा सपना पक्का मकान हो अपना

रायगढ़। जिले में पीएम आवास योजना शहरी गरीब लोगों को पक्का मकान मिलने से लाभार्थियों के चेहरे में खुशी झलक रही है। पीएम आवास योजना शहरी में लगभग 2 हजार 332 लाभार्थियों को लाभ मिला है। ये ऐसे लाभार्थी हैं जिसके पास खपरैल, टीन शेड और छप्पर नुमा मकान में रह रहे थे, उनकी खुद की जमीन थी उन्हें लाभ दिया गया है। जिससे आज उनका पक्के मकान का सपना साकार हो रहा है।

नगर पालिक निगम रायगढ़ अंतर्गत वार्ड क्रमांक 42 अमलीभौना बस्ती की रहने वाली महिला अन्नाबाई ने बताया कि मैं और मेरा

बेटा दोनों मजदूरी कार्य करते है। एक छोटा कच्चा मकान तो था लेकिन वह भी बरसात के समय टूट गया। मजबूरन स्वयं के मकान को छोड़कर किराये पर रह रहे थे। खुद के नाम पर जमीन तो थी, लेकिन रुपये के अभाव में घर नहीं बना पा रहे थे। पक्का घर बनाना मानो मैं एवं मेरे बेटे के लिए सपना बन गया था। तभी हमें पीएम आवास योजना की जानकारी मिली और मैने निगम में जाकर आवेदन जमा किया। स्वीकृति मिलने के बाद पक्का मकान बनाने का कार्य शुरू हुआ और देखते ही देखते टुटा-फूटा वह कच्चा मकान अब पक्का मकान बन गया। अब तो किराये के मकान से भी छूटकारा मिला, साथ ही पैसे की बचत हो रही है और बारिश के मौसम में भी चिंता नहीं सता रही है।

रायगढ़ शहर के वार्ड क्रमांक 34 छातामुड़ा नाका बस्ती का रहने वाला बाबूलाल सिदार ने बताया कि पहले खपरैल और टीन शेड के मकान में रहते थे, बरसात के दिनों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन जब से पीएम आवास योजना से पक्का मकान मिल गया है तब से जीवन में काफी बदलाव आया है। उन्होंने यह भी कहा कि हम कभी सोचे नहीं थे कि हमें पक्का छत भी नसीब हो पाएगी, क्योंकि हम लोग मेहनत मजदूरी करने वाले है जिससे अपने परिवार का भरण पोषण भी अच्छे ढंग से नहीं कर पाते थे। इसी तरह वार्ड क्रमांक 46 कृष्णापुर निवासी बूंदराम भूमिया कहते है कि वे पिछले 50 साल से अपनी पत्नी के साथ कच्चे मकान में रह रहे थे। मकान कच्चा और जर्जर था, लिहाजा बारिश और ठंड जैसे मौसम में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता था। उनका मुख्य कार्य मजदूरी है, प्राप्त आय काफी कम होती थी, लिहाजा इतने पैसे में स्वयं का घर बना पाना संभव नहीं था। इसी दरमियान उन्हें पीएम आवास योजना शहरी के बारे में पता चला और निगम के कर्मचारी द्वारा सर्वे करने आए लोगों द्वारा उनका आवेदन जमा किया गया। जिसमें उनका आवेदन स्वीकृत हुआ और कुछ ही महीनों में उनका घर बनकर तैयार हो गया। आज उनका पक्का मकान का सपना पूरा हो गया। पीएम आवास योजना के माध्यम से स्वयं का पक्का मकान बनने से हितग्राहियों ने शासन को धन्यवाद दिया।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईजर श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी साकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियों की जावेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU